भारत निर्वाचन आयोग
**Election Commission of India**

**उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन**
**विशेष संदेशवाहक/कैम्प बैग द्वारा**
निर्वाचन सदन
NIRVACHAN SADAN
अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001
ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001

सं. 481/ईसीआई/अनुदेश/प्रकार्या./द्विवार्षिक/2017 तारीखः 5 जुलाई, 2017

सेवा में

उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए रिटर्निंग अधिकारी
तथा महासचिव, राज्य सभा,
संसद भवन,
नई दिल्ली।

**विषय: मत चिह्नित करना- मतदान के स्थान पर साधन की आपूर्ति ।**

महोदय,

मुझे, यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति पद के निर्वाचनों में निर्वाचकों द्वारा मतदान करने की रीति एवं प्रक्रिया राष्ट्रपतीय तथा उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 के नियम 17 और 18 में उपबंधित है। उपर्युक्त नियमों के अंतर्गत मतदान के स्थान पर निर्वाचक द्वारा मतपत्र पर मत चिह्नित करने के लिए कोई विशेष साधन निर्धारित नहीं किया गया है, जैसा कि लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों के मामले में किया गया है। आगामी उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन में मतदान की गोपनीयता बनाए रखने तथा मतगणना के समय मतदाता की पहचान होने की संभावना को टालने के उद्देश्य से, आयोग ने मत चिह्नित करने में एकरूपता बनाए रखने के उपाय के रूप में निदेश दिया है कि उपर्युक्त नियमों के नियम 14 के अधीन जब मतपत्र दिया जाए, तो उसे मतपत्र पर अपना अधिमान चिह्नित करने के लिए पीठासीन अधिकारी या उनके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा विशेष रूप से डिजाइन किया हुआ एक पेन व्यक्तिगत रूप से दिया जाना चाहिए। निर्वाचक को इस तरह उपलब्ध कराया गया यह पेन उसके द्वारा अपना मत चिह्नित करने और उसे मतपेटी में डाल देने के उपरान्त उसे दूसरे निर्वाचक को दिए जाने के लिए उनसे वापस ले लिया जाएगा।

2. उपर्युक्त प्रयोजन के लिए, निर्वाचन आयोग आपको अपेक्षित संख्या में **वायलेट स्याही** वाले उक्त पेन उपलब्ध करवाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अधिमान केवल बैंगनी (वॉयलेट) स्याही में और केवल उसी पेन से चिह्नित हों।किसी अन्य पेन, बॉल पॉइन्ट पेन आदि से चिह्नित कोई भी मतपत्र राष्ट्रपतीय तथा उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 के नियम 31 (1) (घ) के अधीन अस्वीकृत किया जा सकता है।

3. कृपया इस पत्र की पावती दें।

भवदीय,

राजीव कुमार

**(आर.के. श्रीवास्तव)**
**वरिष्ठ प्रधान सचिव**